संख्या-30/2016/901/30-3-16-6बी/2014टीसी

प्रेषक,

सीताराम यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 31 मार्च, 2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि के अन्तरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-777ए/2016, दिनॉक 31-03-2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि रू0 40000 हजार (रू0 चार करोड़ मात्र) के अन्तर्लेखा संक्रमण द्वारा जमा किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनागत पक्ष के लेक्षाशीर्षक-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-97-बाह्य सहायतित योजनायें-9701-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में उपलब्ध बचत रू0 40000 हजार (रू0 चार करोड़ मात्र) को अनुदान संख्या-43 में आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-797-आरक्षित निधियों/जमा लेखों का अन्तरण-04-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण-48-अन्तर्लेखा संक्रमण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

संख्या-30/2016/901(1)/30-3-2016, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in